भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4195
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

बालिकाओं की सुरक्षा

4195. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल की रिपोर्टों के अनुसार देश में 20-24 आयु वर्ग की 20 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में बाल विवाह को समाप्त करने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): वर्ष 2019-21 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार 20-24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। इससे पता चलता है कि बाल विवाह की व्यापकता जो 2005-06 में आयोजित एनएफएचएस-3 के तहत अर्थात् 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' (पीसीएमए) के अधिनियमन के बाद से लगभग 47% बताई गई थी वह एनएफएचएस-5 के तहत 2019-21 की अवधि के दौरान आधी रह गई है।

(ख): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक सहित महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध की जांच और

अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है; वे ऐसे अपराधों/आपराधिक कृत्य से निपटने में सक्षम हैं।

सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने और बाल विवाह से जुड़े लोगों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पीसीएमए अधिनियम बनाया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) की धारा 16 राज्य सरकार को पूरे राज्य या उसके ऐसे हिस्से के लिए, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, एक अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है, जिन्हें 'बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)' के रूप में जाना जाता है जिनका क्षेत्राधिकार अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगा। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करती है जिसमें उचित समझे जाने वाले कदम उठाकर बाल विवाह को रोकना; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों को सलाह देना या इलाके के निवासियों को परामर्श देना कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने, सहायता करने, मदद करने या अनुमति देने में लिप्त न हों; बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; तथा बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना भी शामिल है। ये प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करते हैं। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन उनके पास है।

केंद्र सरकार अपने स्तर पर जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाती है और इस कुप्रथा के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएमपीओ की संख्या बढ़ाने के लिए भी लिखा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर वैधानिक अधिकारी की उपस्थिति से इस विषय पर और अधिक प्रभावी सार्वजनिक जुड़ाव होगा तथा बाल विवाह की रोकथाम होगी। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) व्यापक योजना 'मिशन शक्ति' के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटक को लागू करता है जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी इस संबंध में समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम और हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक टोल-फ्री 24X7X365 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा, शॉर्ट कोड 1098 के साथ 'चाइल्ड हेल्पलाइन' शुरू की है जो पुलिस, सीएमपीओ, जिला बाल संरक्षण इकाइयों आदि के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम सहित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपयुक्त कार्यकलाप के साथ प्रतिक्रिया करती है। इस चाइल्डलाइन को 24x7 आपातकालीन और गैर-

आपातकालीन प्रतिक्रिया और सेवाएं प्रदान करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 27.11.2024 को नई दिल्ली में 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान आरंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु एक पोर्टल 'https://stopchildmarriage.wcd.gov.in' आरंभ किया गया है। इस पोर्टल में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने की सुविधा भी है।

******